षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-23 | सोमवार, दिनांक-04 अप्रैल, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 09.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अप० तक ।

[1] सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 43 के तहत माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव एवं अन्य तथा माननीय सदस्य श्री श्याम रजक एवं अन्य से प्राप्त सूचना ''यह सभा केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं में केन्द्रांश में कमी एवं राज्यांश में बढ़ोत्तरी किये जाने के कारण राज्य में उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श :-

माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव द्वारा सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया एवं अपना पक्ष रखा । सदन में प्रस्तुत विमर्श के प्रस्ताव पर निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री संजय सरावगी — (ii) श्री ललित कुमार यादव

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य डॉ० अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया ।

(iii) श्री सदानन्द सिंह — (iv) श्री श्याम रजक

(v) श्री मिथिलेश तिवारी — (vi) श्री सीताराम यादव

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

(vii) श्री सत्यदेव राम — (viii) श्री ललन पासवान

तत्पश्चात् प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

''सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण विरोध प्रकट करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए ।''

सरकार के उत्तर के अंत में माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा आसन से अनुरोध किया गया कि षोडश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार द्वारा भी राज्यांश एवं केन्द्रांश पर मोनेटरिंग

करने के लिए विधान सभा की एक कमिटी बना देने का अनुरोध किया गया था, जिसे आज मैं फिर दुहराता हूँ, जिससे स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी ।

"आसन द्वारा कहा गया कि आसन इस पर गौर करेगा ।"

आसन से घोषणा की गयी कि नियम-43 के तहत वाद-विवाद अब समाप्त हुआ ।

[2] <u>प्रश्नोत्तर काल</u> :-

(i) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या 2778 जल संसाधन विभाग में स्थानान्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न संख्या 'अ' 2635 के लिए प्रभारी मंत्री द्वारा समय लिया गया ।

(iv) 34 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] <u>कार्यस्थगन</u> :-

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री मो० नवाज आलम
(ii) श्री रामदेव राय
(iii) श्री ललन पासवान
(iv) श्री राम विशुन सिंह
(v) श्री अशोक कुमार सिंह
(vi) श्री सुबोध राय
(vii) श्री संजय सरावगी
(viii) श्री अचमित ऋषिदेव
(ix) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(x) श्री विनोद कुमार सिंह
(xi) श्री विनोद प्रसाद यादव
(xii) श्री अशोक कुमार सिंह
(xiii) श्री मुद्रिका सिंह यादव
(xiv) श्री समीर कुमार महासेठ
(xv) श्री विजय कुमार खेमका
(xvi) श्री मो० नेमतुल्लाह
(xvii) श्री जिबेश कुमार
(xviii) श्री विजय कुमार सिन्हा
(xix) श्री यदुवंश कुमार यादव
(xx) श्रीमती भागीरथी देवी
(xxii) श्री वशिष्ठ सिंह
(xxii) श्री सत्यदेव राम
(xxiii) श्री तारकिशोर प्रसाद

[5] <u>ध्यानाकर्षण सूचनाएँ</u> :-

(i) माननीय सदस्य श्री श्याम रजक एवं अन्य सभासदों का खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया हुआ तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलोक मेहता/ श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री आलोक मेहता द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा फारबिसगंज गोली कांड न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन ATR की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, श्री आलोक मेहता द्वारा बिहार जिला आयुष चिकित्सा सेवा (नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iii) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iv) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि ''भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "स्थानीय निकाय" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो'', जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(v) माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय प्रकाश द्वारा बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[7] <u>याचिका</u> :-

सभा सचिव द्वारा 91 याचिकाओं का उपस्थापन किया गया ।

तदोपरांत सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02:00 बजे अप० से 6.00 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[8] <u>गैर सरकारी संकल्प</u> :-

(i) 06 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत ।

(ii) 08 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ ।

(iii) 119 गैर सरकारी संकल्प वापस ।

(गैर सरकारी संकल्प संख्या-04 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यासी सदस्य श्री इलियास हुसैन ने आसन ग्रहण किया ।)

गैर सरकारी संकल्प संख्या-118 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

[9] <u>निवेदन</u> :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-29 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

[10] <u>अध्यक्ष का समापन भाषण</u> :-

यथा संलग्न ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-04 अप्रील, 2016

राजीव कुमार

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।